हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हु

26.09.2016 उभय पक्ष के अधिवक्ताकगण उपस्थित। प्रकरण में वादी वकील द्वारा दिनांक 14.09.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवान का वाद जनक पुत्र हसंराज नामक व्यक्ति द्वारा पेश किया गया है जिसका प्रार्थीयान की कृषि भूमि से कोई लेना देना नहीं है प्रार्थीयान को बिना बताये उक्त वाद पेश किया गया है, ना ही ऐसा कोई सबूत वाद में पेश किया गया कि जिससे यह ज्ञान हो कि प्रार्थीयान नें उक्त वाद पेश किया है। इस सम्बंध में प्रार्थीयान जनक के खिलाफ अलग से फौजदारी कार्यवाही भी कर रही है।

प्रतिवादी संख्या 2 विरेन्द्र प्रार्थीया दर्शना देवी का पुत्र है जिसके खिलाफ दावा पेश करनें का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता इसलिये उक्त अनवान के वाद को खारिज फरमाया जावे। क्योंकि प्रार्थीयान द्वारा ऐसा कोई वाद पेश ही नहीं किया है, जानबुझ कर प्रार्थीयान को नुकसान पहुचानें के लिये जनक पुत्र हंसराज द्वारा पेश किया गया है जिससे प्रार्थीयान का कोई लेना देना नहीं है।

अतः उक्त अनवान का वाद खारिज फरमाया जाकर वाद खारिज फरमाया जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर फरमाई जावे। तथा जनक पुत्र हंसराज के खिलाफ फौजदारी मुकद्मा दर्ज करवाया जावे।

वादी हंसराज द्वारा दिनांक 14.09.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दर्शना व जीवा की मानसिक स्थिति सुन्लन में नहीं है इसलिये वह अपना भला बुरा नहीं सोच सकती है। अतः न्याय की दृष्टि से दर्शना व जीवा को न्यायालय में तलब किया जाकर उसकी मानसिक स्थिति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त करें यदि न्यायालय उचित समझे तो उनका मैडिकल मुआयना करवाया जा सके ताकि प्रार्थी द्वारा वाद पत्र में जो उल्लेख किया गया है वह स्पष्ट हो सके।

पत्रावली का अवलोकन किया गया दिनांक 20.09.2016 को प्रार्थना पत्रों की सुनवाई गई सुनवाई के दौरान दर्शना व जीवा के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया गया कि जनक राज द्वारा वाद पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे दर्शना तथा जीवा के मानसिक स्थिति सन्तुलन में नहीं है साबित हो सके और यदि मानसिक स्थिति सन्तुलन में नहीं हो तो उसके सम्बंध में उसके हितो के लिये उसका पुत्र वाद कर सकता है, जनक राज के पास ऐसा कोई साक्ष्य सबुत नहीं है, कि जिसके अनुसार जनकराज वाद पेश करनें का अधिकारी है। अतः वाद को खारिज फरमाया जावे।

जनकराज स्वयं उपस्थित नहीं तथा उनके अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि दर्शना व जीवा की और से जनक राज वाद पेश करनें का अधिकारी है। कोई वाद वाद मित्र के सहारे तभी चल सकता है, जब वाद मित्र तथ्यों से यह सिद्ध करे कि वह वादमित्र है और न्यायालय उसे मन्जूर करे लिहाजा यह वादमित्र के सहारे वाद चलानें की अनुमति साक्ष्य के अभाव मे दिया जाना सम्भव नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र दर्शना व जीवा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद को खारिज किया जाता है। पत्रावली डिग्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली दिनांक नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर